COLLEGE OF AGRICULTURE, FATEHPUR-SHEKHAWATI
SIKAR-332301, RAJASTHAN
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर– 332301,राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

Prof. Ummed Singh
DEAN

+91-8299837429
dean.coafatehpur@sknau.ac.in

No.F. (03)/Accounts/COA/FTR/2025/ 1590 Dated : 01-05-2025

निविदा सूचना

कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर का सफाई का कार्य करने हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 15.05.2025 को 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं	विवरण	अनुमानित राशि (रूपये लाख में)	निविदा प्रपत्र शुल्क(रू.)	अमानत राशि(रू.)	निविदा वैधता अवधि
1.	कृषि महाविधालय एवं छात्र–छात्रा छात्रावास कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के सम्पूर्ण परिसर, ईकाईयों का सफाई कार्य	5.00	500.00	10000.00	90 दिन

1. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्तें सम्बन्धी दस्तावेज अधिष्ठाता कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के कार्यालय से दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 15.05.2025 तक कार्यालय समय में कैशियर से निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है या राज्य लोक उपापन पोर्टल (https://sppp.rajsthan.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र के साथ डीडी/नकद जमा की रसीद संलग्न करना आवश्यक है। निविदा बिना निविदा प्रपत्र शुल्क जमा कराये स्वीकार योग्य नहीं है।
2. निविदा सीलबन्द लिफाफे में, जिसके ऊपर कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर की सफाई कार्य करने हेतु" अंकित हो, कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के कार्यालय में दिनांक 15.05.2025 को 11.00 बजे तक व्यक्तिशः या डाक द्वारा पहुँच जानी चाहिये। प्राप्त निविदा दिनांक 15.05.2025 को 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियो के समक्ष क्रय विक्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र में वैध मोबाइल नं. एवं ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
5. भरी हुई निविदा के साथ अमानत राशि का नकद की रसीद/डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है।

(अधिष्ठाता)
DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रीमान वित्त नियन्त्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. Incharge CIMCA को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट व SPPP पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. संयोजक, टेन्डर कमेटी, कृषि महाविद्यालय फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर
4. सभी सूचना पट्ट
5. रक्षित फाइल

(अधिष्ठाता)
DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

निविदा प्रपत्र

अन्तिम तिथिः–

समयः–

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर– 332301,राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

1. कृषि महाविधालय एवं छात्र–छात्रा छात्रावास कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के सम्पूर्ण परिसर एवं ईकाइयों का सफाई कार्य में हेतु द्विभाग (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) निविदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता, ईमेल व मोबाईल नम्बर........................
....
....
....
....

ईमेल :.. मोबाईल :..

3. किसको सम्बोधित किया गयाः अधिष्ठाता कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर ।

4. संदर्भ क्रमांक :...
....

5. हम अधिष्ठाता कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर द्वारा जारी की गई निविदा No.F.(03)/Accounts/COA/FTR/2025/..........................दिनांक..................... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त निविदा सूचना में अंकित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लिखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

6. निविदा में आमंत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, जिसे कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से तीन माह तक बढ़ाई जा सकेगी।

7. निविदा के साथ जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

8. निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दो एवं अंको में अंकित की जावे, किसी भी प्रकार की काटछॉट की गई दरें स्वीकर नहीं होगी।

9. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित नही की जावे। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

10. विशेष परिस्थितियों में राज लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–74 के अनुसार कार्य से Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।

11. बोली दस्तावेजो में परिवर्तनः बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप, धारा 23 के उपबंधो के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजो को उपान्तरित कर सकेगी।

12. निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का समस्त अधिकार अधोहस्तोक्षरकर्ता को होगा। निविदाताओं द्वारा गत तीन वर्षों में सफाई संबंधी कार्य यदि सम्पादित किया है तो विवरण देवे।

13. निविदा दिनांक 15.05.2025 को 11.00 बजे तक मोहरबन्द लिफाफे में कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर में प्रस्तुत करनी होगी।

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

14. प्राप्त निविदा दिनांक 15.05.2025 को 02.00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदादाता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

15. स्वीकृत निविदादाता को 500/— रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना होगा।

16. स्वीकृत निविदादाता को प्रतिभूति की रकम के रूप में आदेशित राशि का 5 प्रतिशत जमा करवाने होंगे, जो नियमानुसार कार्य पूर्ण होने पर लौटा दिये जावेगे। सफल निविदादाता की अमानत राशि के पेटे जमा राशि/प्रतिभूति राशि में समायोजित की जायेगी।

17. सफल निविदादाता उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तों को मानने हेतु बाध्य होगा तथा बिड प्रपत्र शर्तों की प्रस्तुत सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

18. निविदादाता को निविदा सूचना में उल्लेखित अमानत राशि वित्तीय बिड के साथ जमा करानी होगी।

19. सफल निविदादाता इस कार्यालय द्वारा दिये गये आदेश के 5 दिवस के भीतर सफाई कार्य प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी, तथा विलम्ब से कार्य प्रारम्भ करने पर राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियमो के तहत क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जावेगी।

20. निविदत्त दरे कार्यादेश जारी होने से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से कार्य संतोषपूर्ण होने पर नियमानुसार 03 माह के लिए बढाया जा सकता हैं।

21. श्रमिको के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी बाध्यता पूर्ण करने के संबंध में निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगें। महाविधालय का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

22. राज्य में प्रचलित श्रम संबंधी कानूनों में विद्यमान सभी शर्तों औपचारिकताओं का पालन करना होगा।

23. कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक के साथ कोई भी आकस्मिकता/दुर्घटना होने के संबंध में निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगें। महाविधालय इसके लिये उत्तरदायी नही होगा।

24. सफल निविदादाता उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

25. निविदादाता लिफाफे पर निविदा सूचना का नाम अवश्य अंकित करे।

26. निविदा के संबंध में निर्णय करने का अधिकार अधिष्ठाता कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के पास है। इस हेतु बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

27. निविदा के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे।

28. सफल निविदादाता को कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के छात्र व छात्रा छात्रावास, अधीक्षक एवं महाविधालय के सभी विभाग प्रभारियो से संबंधित कक्षा–कक्ष, लैब, लाइब्रेरी, चैम्बर, शौचालय, भण्डारण कोरिडोर, छत इत्यादि के सफाई कार्य संतोषजनक होने संबंधी साप्ताहिक सूचना प्राप्त कर बिल के साथ प्रस्तुत करने होंगे। किसी प्रभारी से कार्य संतोषजनक न होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भुगतान रोका जा सकेगा।

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

सफाई कार्य विवरण

29. कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर का क्षेत्राधिकार के सम्पूर्ण भवन परिसर एवं छात्र व छात्रा छात्रावास सहित महाविधालय व छात्रावासों के सामने की सड़क की प्रतिदिन सफाई करनी होगी तथा प्रतिदिन सभी कमरों व गैलेरी में पोछा लगाना होगा। महाविधालय व छात्रावासों के भवन की छत एवं भवन परिसर के चारों तरफ बाहर की तरफ दस फीट की परिधि तक की साफ सफाई समय समय पर करनी होगी।

30. महाविधालय के सामने का भाग, सम्पर्ण भवन परिसर की गैलरी, कक्षा–कक्ष एवं शौचालय, बाथरूम आदि प्रसाधनों की साफ–सफाई प्रातः 09.45 बजे या कक्षाएं शुरू होने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रतिदिन करनी होगी। समयानुसार कार्य नहीं होने पर भुगतान रोका जा सकेगा।

31. महाविधालय एवं छात्रावासों के सभी दरवाजे, खिडकी, रोशनदान, दीवारों, पंखों, अलमारियों आदि की डस्टिंग करनी होगी व महाविधालय व छात्रावासों के सम्पूर्ण भवन में छत के अन्दर की तरफ के जाले समय–समय हटाने होंगे।

32. महाविधालय एवं छात्र व छात्रा छात्रावासों के सीवरेज व ड्रेनेज नालियों की सफाई समय समय पर जरूरी होने पर करनी होगी।

33. साफ सफाई कार्य में काम आने वाले सभी साज व सामान जैसे फिनायल, रोमोकोल, फिनायल गोली, वाशिंग पाउडर, कोलीन, झाडू, पोंछा, डस्टर, साबुन, ब्रुश, एसिड, ओडोनील, नाली सफाई के औजार, दस्ताने, मास्क इत्यादि प्रयोग में आने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार अपने स्वयं के खर्चे से करेगा जिसके लिये उसे अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।

34. साफ सफाई में उपयोग में लिया जाने वाला सम्पूर्ण साज व सामान उनके लिये निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा प्रमाणिक नमूनो से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए। कोई ऐसा साज सामान जिसके लिये कोई प्रमाणित नमूना न हो, उक्त सामान बाजार से उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए जिन सामानो को अस्वीकारा जाये या बदलवाया जावे ऐसी वस्तुओ की अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण निविदाकार को कोई हानि हो तो उसके लिए महाविधालय किसी भी रुप में उत्तरदायी नही होगा। इस संबंध में अधिष्ठाता, कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

35. महाविधालय एवं छात्र, छात्रा, छात्रावास भवन परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार सफाईकर्मी लगाने होंगे ताकि सफाई निश्चित समय पर तथा समय पर पूर्ण हो सके। दो सफाईकर्मी सदैव कार्यालय समय (प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक) में उपलब्ध रहेगे। उक्त सफाईकर्मी महाविधालय परिसर एवं छात्रावासों में जहां भी गंदगी दिखे यहां सफाई करेंगे। महाविधालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यालय/छात्रावासों में सफाई कार्य करवाया जा सकेगा, साथ ही सफाई कर्मियों के नाम व मोबाईल नम्बर निविदा में संलग्न निर्धारित प्रारूप में देने आवाश्यक है।

36. महाविधालय के छात्रा छात्रावास में साफ सफाई का कार्य महिला सफाईकर्मी द्वारा ही किया जायेगा एवं छात्र छात्रावास में साफ सफाई का कार्य पुरूष सफाईकर्मी द्वारा ही किया जायेगा।

37. महाविधालय की कार्यदिवस में भवन की सफाई न होने पर प्रतिदिन 1500 रूपयें की कटौती की जायेगी तथा छात्रावास में किसी भी दिवस में सफाई नहीं होने पर 1000 रूपये की कटौती की जायेगी।

38. महाविधालय कार्य दिवस के अलावा अवकाश के दिन एवं देर रात्रि या प्रातःकाल जल्दी कोई कार्यक्रम, दिवस, भ्रमण इत्यादि का कार्यक्रम होता है तो उस दिन भी साफ–सफाई का कार्य करना होगा। उसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

39. संतोषजनक सफाई कार्य न होने पर 500/– रूपये प्रतिदिन की कटौती की जायेगी। अन्य व्यक्तियो से सफाई कराने का वास्तविक खर्चा की कटौती की जायेगी। महाविधालय समय पर सफाईकर्मी के उपस्थित नही रहने पर 500 रूपये प्रतिदिन की कटौती की जावेगी।

40. महाविधालय एवं छात्रावासों में सफाई कार्य की साप्ताहिक पुष्टि संबंधित विभाग प्रभारी से करानी होगी ।

41. प्रत्येक सफाईकर्मी को मास्क, इस्ताने एवं अन्य सुरक्षा संबंधित उपकरण लगाकर सफाई करनी होगी। सुरक्षा संबंधी सामग्री ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

42. सफाईकर्मियो को फर्म द्वारा जारी पहचान–पत्र ठेकेदार द्वारा दिये जावेगे। जिन्हे सफाई के समय सफाईकर्मियो को पहन कर रखना होगा।

43.सफाईकर्मी व्यवहारकुशल, ईमानदार एवं निष्ठावान हो, जो महाविधालय के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, विधार्थी इत्यादि से शालीनता से पेश आऐंगे एवं उनके कहेनुसार सफाई कार्य निष्पादन करेंगे।

44. सफाई कर्मचारी किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होनाा चाहिए एवं स्वस्थ हो तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है।

45. निविदादाता स्वयं या अपने पर्यवेक्षक द्वारा सफाई कार्य का निष्पादन एवं समीक्षा करवायेगा।

46. निविदादाता किसी अन्य द्वितीय/तृतीय पक्ष को उपनिविदा/उपभाड़ा नहीं देगा।

47. सफाईकर्मियों द्वारा कचरे को नियमानुसार निस्तारण हेतू निर्धारित गन्तव्य स्थान तक ले जाकर ही निस्तारित करना होगा एवं इसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

48. सफाईकर्मी ठेकेदार द्वारा दी गई निर्धारित ड्रेस पहनकर ही सफाई का कार्य करेगें।

49. किसी भी शर्त/नियम में कोई विरोधाभास अथवा अस्पष्टता की स्थिति में RTPP ,Act, 2012 & RTPP नियम, 2013 लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1. निविदादाता का नाम..

2. डाक का पता...

3. टेलीफोन/मोबाईल नं...

4. ईमेल...

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ करते है कि मैने/हमने सफाई कार्य करने हेतु निविदा की शर्तों को ढंग से पढ़ा एवं समझा है तथा हम निविदा की शर्तों से सहमत है तथा इन शर्तों को मानने हेतु बाध्य है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो विभाग मेरे हमारे विरूद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही हेतु अधिकृत होगा एवं मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप मे समपहृत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाए।

निविदादात के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम व पूर्ण पता

टेलीफोन/मोबाईल नं/ईमेलः

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

निविदा द्वारा अनुबन्ध के आधार पर महाविधालय एवं छात्रावासों के सफाई कार्य के संबंध में वित्तीय प्रस्ताव

1. बिड प्रपत्र शुल्क जमा नकद रसीद क्रमांक डी.डी./रसीद नं.................... दिनांक................

   डी.डी. नं...................... दिनांक..................

2. अमानत राशि जमा रसीद क्रमांक..................... .. दिनांक..........................

   डी.डी. नं .... दिनांक.......................

3. पंजीयन प्रमाण–पत्र सलग्न है/नही है।

4. पैन नम्बर/जी.एस.टी नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। नहीं है।

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम..

मो०/फोन नं..

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

निविदा द्वारा अनुबन्ध के आधार पर महाविधालय एवं छात्रावासों के सफाई कार्य के संबंध में वित्तीय प्रस्ताव

कं.स.	कार्य विवरण	कार्य अनुभव	अनुबन्ध के आधार पर सफाई कार्य की दर रूपये प्रति माह (सभी करों सहित)
1.	कृषि महाविधालय एवं छात्र–छात्रा छात्रावास कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर के सम्पूर्ण परिसर, ईकाईयों इत्यादि का सफाई कार्य		

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम..

मो०/फोन नं..

ई–मेलः...

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

निविदा द्वारा अनुबन्ध के आधार पर महाविधालय एवं छात्रावासों के सफाई कार्य के संबंध में कार्मिकों के नाम एवं मोबाईल नम्बर

क्र.सं	नाम सफाई कार्मिक	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम..

मो०/फोन नं...

ई–मेल:...

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

Annexure A: Comparative with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise Influence the procurement or to otherwise influence the procurement process.
b) not misrepresent or omit that misloads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse of any information shared between the procuring entity and the Bidders with not an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same directly or indirectly, to any party or to its property to Influence the procurement process;
1) not obstruct any investigation or audit of procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any; and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A contract of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could Improperly Influence that party's performance of official dutles or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to Information about or Influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.... ....for procurement of ....In response to their Notice Inviting Bids No............Dated................ I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings:

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:
Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The first Appellate Authority will be Hon'ble Vice Chancellor, SKNAU, Jobner and second Appellate Authority will be appointed by Chief Secretary/Joint Secretary, Agriculture Department, Govt. of Raj., Jaipur or SKNAU, Jobner or Govt. of Rajasthan.

(1) Filling an appeal:

a. If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

b. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

c. If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet, within fifteen days. The Second Appellate Authority, after hearing the parties, shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the parties. If the Second Appellate Authority is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reason for the same.

(2) Appeal not to lie in certain cases:

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the bidding process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(3) Form and procedure of filing an appeal

(a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(4) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(5) Procedure for disposal of appeals

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati

FORM No. 1[See rule 83 of RTTP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
......
....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....

Place ....
Date ....

Appellant's Signature

DEAN
College of Agriculture
Fatehpur-Shekhawati (Sikar)